आज का विचार

बालकों से केवल अच्छे अंकों की उम्मीद ही नहीं की जाती बल्कि प्रवीण और पारंगत होने के सपने तो देखते है लेकिन किसी खतरे में नहीं डाल सकते। (शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक लोकजीवन

कोरोना पढ़ाई और बच्चों का भविष्य...!!

कोरोना महामारी ने हर किसी को भयभीत किया हुआ है और इसी अज्ञात दुश्मन वायरस के भय से कब तक घरों में कैद र जा सकता है। कब तक सामान्य गतिविधियां पर प्रतिबन्ध जारी रखे जा सकते हैं। फिर जीवन अनमोल है इसे जान बूझ कर खतरे में भी नहीं डाला जा सकता तो जिन्दगी के रूप में मिले सीमित समय को व्यर्थ बर्बाद भी नही किया जा सकता। कोरोना के चलते गाईड लाइन की पालना करते हुए आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधि घर से को मंजूरी दी जा रही है। फिल्में और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग को सशर्त अनुमति दी गई है। जिसमें कैमरे के सामने कलाकार को मास्क नहीं लगाने की छूट है। शेष यूनिट सदस्यों को मास्क व किट पहन कर ही अपने कर्त्तव्य को अंजाम देना है तो अनलॉक 4 को लेक अनुमान लगाये जा रहे हैं। आशा की जा रही हैं कि कई क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाये जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सही परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। क्योंकि पढ़ाई को न्यू नार्मल के तहत ऑनलाइन भले ही आरंभ किया गया हो मजबूरी यह कि लोगों के पास स्मार्ट या लेपटॉप जैसे उपकरणों का अभाव है। नेटवर्क की सदस्या के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में अभिभावकों के पास साधन नहीं है तो बच्चों में सीखने की क्षमता कक्षा में सीधे शिक्षक से सीखने की ही नहीं है तो ऑनलाईन पढ़ाई की सोच भी भी नहीं सकते। बिना पढ़ाये भी स्कूलों द्वारा फीस व शुल्क वसूलने की शिकायत आम है।

स्कूल, कॉलेज, कांचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद है और उम्मीद की जा रही हैं कि अनलॉक 4 में इस दिशा में कोई निर्णय सामने आये। इस बीच देश ही नहीं दुनिया भर में स्कूल कॉलेज खोलने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह बालकों के भविष्य को स्थाई रूप से बर्बाद नहीं किया जा सकता। स्कूलें बंद होने से बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जिनकी उम्र सीखने की है उन्हें पढ़ाई में वंचित रखकर बाधित नहीं किया जा सकता। यही कारण हैं कि शिक्षण संस्थान खोलने के लिए दिशा निर्देशों पर मंथन हो रहा है। जिसमें पर्याप्त दूरी, मास्क तथा सेनेटाईजेशन सहित अन्य पहलुओं की पालना सुनिश्चित हो। अभिभावकों में अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है। क्योंकि कोई भी अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन लेकिन स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा भी नहीं उठाया सकता। संक्रमण से सुरक्षा की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन बचाव के हर संभव उपायों के साथ शिक्षण संस्थान खुलते है तो अभिभावक भी हिम्मत कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की हैं कि खतरे के बीच बालकों का भविष्य भी संवरे और सुरक्षित भी रहे ऐसी प्रणाली लागू करनी होगी।

कड़वी घूंट -सूरज

मिली भगत से....!!

राजनीति में जो दिखताहै वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं अर्थात जो नज़र आता है उसका सूत्रधार कोई ओर होता है किसके इशारे से, किसकी मिली भगत या किसके हित को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है किया जा रहा है। यह सामने नज़र नहीं आता केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ऐसा होने से आखिर किसे लाभ होने वाला है या कि कौन खुश हो सकता है जो सामने नज़र आ रहा है वह तो किसी की कटपुतली बना हुआ होता है।

विपरीत इसके शातिर खिलाड़ी अपनी चाल तो चल जाता है लेकिन पर्दे से बाहर नहीं निकलता। जो सामने नज़र आते है उन पर मिली भगत के आरोप इसीलिए लगते हैं कि वे हां में हां मिलाने की बजाय अहमियत व्यक्त कर अलग ही राय व्यक्त कर रहे हैं।

हां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रमुख नेताओं द्वारा लिखे पत्र पर न केवल नाराजगी व्यक्त की बल्कि लिखने वालों भाजपा से मिली भगत और भाजपा के इशारे से पत्र लिखने के आरोप भी लगे तो सिब्बल व आजाद को स्पष्टीकरण के बजाय चुनौती देनी पड़ गई कि आरोप साबित हो तो त्याग पत्र दे देंगे। अब यह आप जानों कि जिम्मेदार ही मिली भगत करेंगे तो कौन भरोसे लायक रह जायेगा।

छोटे कस्बों व नगरपालिका क्षेत्रों में सप्लाई किये जा रहे पानी की करें सैंपलिंग - नकाते

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास एवं नरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। नगर परिषद को फोगिंग व एंटी लार्वा एक्टिविटी प्रारंभ करने एवं जन आधार कार्ड के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। आरयूआईडीपी को सीवरेज कार्य के दौरान विभिन्न विभागों से एनओसी लेकर ही कार्य करने के निर्देश दोहराते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि अभय कमांड सेंटर की केबल जहां से क्षतिग्रस्त हुई है वहां ठीक करने का कार्य शीघ्र करें। आरयूआईडीपी द्वारा किए गए रोड रेस्टोरेशन कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परिषद एवं यूआईटी के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद सीईओ गोपाल राम बिरदा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में डेंगू व मलेरिया को लेकर सचेत रहने की भी आवश्यकता है। बारिश में शुद्ध पानी की सप्लाई किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जलदाय विभाग के अधिकारी को दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि छोटे कस्बों व नगरपालिका क्षेत्रों में स्पलाई किए जा रहे पानी की सैंपलिंग करें। जिला परिषद व जलदाय विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में आरओ प्लांट की परिचालन की वस्तुस्थिति की जांच कर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

राज्य में उद्यम की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंको के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋृण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रारम्भ की गई है । योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिमार्ण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना एवं स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधिकरण आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋृण व रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है । उक्त योजना में पात्रता की शर्ते व्यक्तिगत आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, कम्पनी किसी कानून या नियम के तहत पंजीकृत हों । आवेदक या उसका परिवार विगत 5 वर्षो में केन्द्र या राज्य सरकार की रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम/योजना में लाभान्वित नहीं हुआ हो, आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य बैंक डिफॉल्टर न हो । संस्थागत आवेदको (स्वयं सहायता समूह, सोसायटी) हेतु अतिरिक्त पात्रता शर्ते संस्था, समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए । संस्था, समूह किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर न हो तथा इसके गठन को एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित हो, संस्था,समूह से सम्बधित समस्त सूचनाए राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध हो। सहकारी संस्थाओं के लेखों को नियमित अंकेक्षण हो और वह उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हो । ऋृणदात्री बैंक/वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय वाणिज्यक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेन्स बैंक, क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी में आवेदन किया जा सकता है । योजना में ऋृण सीमा विनिर्माण क्षैत्र व सेवा क्षैत्र (नवीन, विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकिकरण) हेतु 10 करोड रू. तक के प्रोजेक्ट पर व व्यापार (नवीन, विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकिकरण) हेतु 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर है जिसमें अधिकतम ऋृण राशि 25.00 लाख रू. तक के ऋृण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है, 25.00 लाख रू. से 5.00 करोड़ तक के ऋृण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है, 5.00 करोड से 10.00 करोड तक के ऋृण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है । साथ ही योजनान्तर्गत बुनकर कार्ड धारक बुनकरों को 1.00 लाख रू. तक के ऋृण पर ब्याज का शतप्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा ।

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि ऑनलाईन पोर्टल व मोबाईल एप्प का प्रयोग करते हुए मतदाता सूची में नाम जुडवानें व संशोधन आदि के कार्य करवायें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारुप प्रकाशन 16 नवंबर को किया जायेगा। इसी प्रकार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगी। विशेष अभियान की तिथियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान दो शनिवार एवं रविवार में होगा। दावे एवं आपत्तियां निस्तारण करने की अवधि 5 जनवरी 2021 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को किया जायेगा। इस संदर्भ में गत दिनों विभिन्न राजनैतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हो चुकी है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाना है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ण्दअेचण्पद पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन एप्प के द्वारा नाम जोडने के लिए फार्म-6, नाम हटवाने के लिये फार्म-7, प्रविष्टियों में संशोधन के लिए फार्म -8 एवं विधानसभा से नाम स्थानान्तरण के लिये फार्म-8 क में ऑनलाईन आवेदन करने तथा मतदान के प्रति जागरुकता संबंधी कार्यो को गति प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। विशेषरुप से ऐसे युवा मतदाता जो 01-01-2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं उनका नाम अभीतक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकते हैं।

RANJAN POLYSTERS LIMITED

CIN NO.- L24302RJ1990PLC005560

REGD. OFFICE- 11-12TH K.M STONE, CHITTORGARH ROAD, GUWARDI, BHILWARA- 311001 (RAJASTHAN). Tel No.- 01482-249095,

E-Mail ID: ranjanpoly@gmail.com Website: www.ranjanpolysters.com

NOTICE

SUB: UPDATION OF EMAIL ADDRESS, PAN AND BANK ACCOUNT DETAILS

Notice is hereby given that in view of ongoing Coronavirus pandemic ("COVID-19") in the country, several measures have been taken by Government to curb the spread of virus through social distancing. Ministry of Corporate Affairs (MCA),Government of India vide circular dated 05th May,2020 and Securities and Exchange Board of India vide circular dated 12th May,2020 have allowed the Companies to send notice of AGM along with Annual Report only for financial year 2019-2020 by e-mail to members and other persons entitled whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company or Depository Participant(DP). The Company requests the members to register their e-mail addresses and bank account particulars to enable the Members and other persons entitled so to receive the Notice of Annual General Meeting (AGM), Annual Report & other communications, if any in electronic form. Please note that the Members who have not provided their email address will not be able to get the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-2020. However, the same will be available on the website of the Company and on MSEI Limited in due course of time.

Members may note that the company shall in due course of time make another publication in connection with holding 30th Annual General Meeting, intimating date, time and venue /mode within the time prescribed under the Companies Act,2013. Details and instructions to attend, and vote will be provided in the AGM Notice. Members are requested to provide their email addresses and bank account details for registration to Beetal Financial and Computer Services Private Limited, RTA of company or DPs. The process of registering the same is mentioned below:

In case Physical Holding		Send a duly signed request letter to the RTA of the company i.e Beetal Financial And Computer Services Private (Unit: Ranjan Polysters Limited), Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, B/4, Local Shopping Centre, New Delhi-110062 or Email at beetalrta@gmail.com and provide the following details, documents for registering email address and Bank Details:
	a)	Folio No., Name of Shareholder and Mobile Number
	b)	Copy of Share Certificate (Front and Back).
	c)	Copy of PAN Card & Aadhar Card (Self attested)
	d)	Details of Bank Account:
	·	Name and Branch of Bank
	·	The Bank Account Type
	·	Bank Account Number
	·	MICR Code Number and IFSC Code
	·	Copy of the cancelled cheque bearing the name of shareholder
In case, Demat Holding		Please contact your DP and register email address and bank account details in your Demat account, as per the process advised by your DP.

For further information, Members can write to the company/RTA of the Company at the above-mentioned address/e-mail.

Place: Bhilwara
Date: 26.08.2020

By order of the Board
For Ranjan Polysters Limited
Sd/-
(Chitra Naraniwal)
Company secretary
Membership No. ACS-44750

मिया मुशाजी (रजि.) हर समस्या का समाधान, नौकरी, कारोबार, गृहक्लेश, पति-पत्नी में अनबन, प्रेमविवाह, संतानदु:ख, सौतन, दुश्मन छुटकारा कर्जमुक्ति, कोर्टकेस, प्यार में धोखा खाये एक बार अवश्य मिलें- भीलवाड़ा, बड़ला चौराहा, जम-जम्ररेस्टोरेंटे के पास भीलवाड़ा : 77421-43969, 96947-97492

AXIS BANK | ऐक्सिस बैंक लिमिटेड,जी-9,महिमा ट्रीनिटी मॉल,3 एफ-24,स्वेज फार्म, न्यू सागांनेर रोड़, जयपुर
नियंत्रण कार्यालय: ऐक्सिस हाउस,बोम्बे डाईंग कम्पाउण्ड,पाण्डूरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु नीलामी सूचना

प्रतिभूत हित (प्र्वतन) नियम , 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई - नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है , का वास्तविक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है . को '' जहा है , जैसी है , और जो कुछ भी है के आधार पर श्री भगवती लाल से प्रतिभूति लेनदार की रूपये 4,21,040/- (दिनांक 24.08.2020 तक बकाया राशि तथा उस दिनांक के पश्चात होने वाले भविष्य के ब्याज,आकस्मिक खर्चे,लागत चार्जेज,इत्यादि,वास्तविक भूगतान तिथी तक) की राशि की वसूल हेतु दिनांक 29.09.2020 को बेचा जाएगा सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य एंव जमा धरोहर राशि निम्न में दशाई गई है

खाता संख्या	स्थान /प्रस्तावित तथा विक्रय के लिये डाली गई अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	नीलामी की दिनांक एंव समय
PHR024102677061	सम्पत्ति के सभी अभी अंग एंव हिस्से जिसमे श्री भगवती लाल सोलंकी,भगवती लाल टेलर से संबंधित प्लॉट नं. डी-68,राजस्व ग्राम, अटूण भीलवाडा राजस्थान में स्थितहै। जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज है ।	रू. 4,47,500/-	रू. 44,750/-	29/09/2020 प्रात : 11:30 बजे

विक्रय के निबधंन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट https://www.axisbank.com/auction-notices/ हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक 26.08.2020 स्थान:-जयपुर प्रधिकृत अधिकारी (एक्सिस बैंक लिमिटेड)